न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर। (18)
पीठासीन : अपर्णा शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० - राजस्व वाद - 255/2013 प्रस्तुति दिनांक - 9.10.13

शीर्षक

श्रीमती रामप्यारी पत्नि भूराराम जाट निवासी - साहिबरामपुरा तह० आमेर जिला - जयपुर (राज०)

— वादी

बनाम

मालूराम पुत्र श्री रामनाथ जाति जोगी नि० डीसा तह० - आमेर जिला - जयपुर (राज०)

— प्रतिवादी

वाद बाबत बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दि० 17.2.2021

उपस्थिति :-

(i) श्री बंशीधरजीजाट एडवोकेट वादी की ओर से।
(ii) श्री के. आर. शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से।

. . .

हस्तगत वाद वादी द्वारा ग्राम डीसा, प० ह० अनोपपुरा, तह० आमेर जिला जयपुर में स्थित आ. ख. न. 208 रकबा 0.40 Hct के विषयगत प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा वादपत्र ... अंकित किया है कि उपरोक्त वर्णित वाद... 208 वादी की खातेदारी की कृषि भूमि है जिसके ... में प्रति... की कृषिभूमि है। दिनांक 15.9.2013 को प्रतिवादी द्वारा वादी की आराजीयात के उत्तरी सीमा पर बबूल की टहनियां डालकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.23 15:02:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर
सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner

अतिक्रमण कर लिया गया है। प्रतिवादी का वादी की आराजीयात से कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादी, प्रतिवादी को उपरोक्त वर्णित आराजीयात से नियमानुसार बेदखल करवाकर स्थायी निषेधाज्ञा एवं चार लाख रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी द्वारा वादपत्र में अन्य न्यायालय एवं विधिक बिन्दु समावेशित कर वादपत्र में अंकित अनुतोष न्यायालय से याचित किये गये हैं।

उपरोक्त वाद प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी बाद तलबी जरिये अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा वादपत्र का जवाबदावा मय काउन्टर-क्लेम प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी द्वारा स्वयं के जवाबदावा तथा मय काउन्टरक्लेम में यह प्रकट किया गया कि विवादित आराजीयात पर वादी का कोई विधिक कब्जा नहीं है। विवादित आराजीयात के पूर्व ख.न. 123 मिन तथा ख.न. 124 मिन थे जिसका आवंटन दिनांक 10.5.1973 को भालू नाई को हुआ था। जिसका कोई कब्जा विवादित भूमि पर नहीं हुआ था। भालू नाई द्वारा जमीन को फर्जी तौर पर सुरेश कुमार नामक व्यक्ति को विक्रय किया गया था तथा सुरेश कुमार द्वारा बिना कब्जे दी वादी को विवादित जमीन बेच दी थी। पूर्व ख.न. 123 मिन पर प्रतिवादी के पिता का उससे भी अधिक समय से कब्जा था। जिसका [illegible] से संवत 2033 की गिरदावरी में वर्णित है। प्रतिवादी [illegible] पिता का कब्जा संवत [illegible]14 से संवत 2017 की गिरदावरी में भी अंकित है। विवादित

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.23 15:02:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आराजीयात पर प्रतिवादी के परिवारजन का निवास 50 वर्षों से शांतिपूर्ण कब्जा है जिससे प्रतिवादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 15.9.2013 को कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है तथा काउन्टरक्लेम के अनुसार प्रतिवादी विवादित आराजीयात का खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टरक्लेम के जवाब में यह प्रकट किया गया है कि दिनांक 15.9.2013 से पूर्व प्रतिवादी का कोई कब्जा विवादित आराजीयात पर नहीं था। आवंटन के विरुद्ध प्रस्तुत अपील सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 21.1.2013 को खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में काउन्टरक्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत दावा, जवाबदावा के अनुसार दिनांक 10.7.2015 को न्यायालय द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई :

1. आया ग्राम डीसा के ख.नं. 208 रकबा 0.40 हैक्टेयर की एकमात्र खातेदारी काबिज स्वामी है तथा प्रतिवादी नं. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की अधिकारिणी है।

— जिम्मे वादी

. आया प्रतिवादी नं. 1 द्वारा दिनांक 15.9.2013 को बबूल की टहनियां उक्त भूमि की सीमा पर डाल दी गई। उक्त कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

— जिम्मे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.23 15:02:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

3. आया वादिया आपने कब्जा अनुसार पल्लकवादी करवाने की अधिकारिणी है तथा प्रतिवादी को बेदखल करवाने की अधिकारिणी है।

4. आया प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिवादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। - जिसमे वादी

5. आया वादी को पाबंद किया जावे कि वो प्रतिवादी के कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न नही करे। - जिसमे प्रतिवादी

6. दादरसी - ? - जिसमे प्रतिवादी

उक्त तनकीयात को प्रमाणित करने हेतु वादी द्वारा स्वयं के साक्ष्य मे स्वयं को एवं पति भूरालाल को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे निम्नांकित दस्तावेज पेश किये गये।

- प्रदर्श सं० 1 जमाबंदी खा.न. 200 (संवत 2068-2071)
- प्रदर्श सं० 2 जमाबंदी खाता सं० 07 (संवत 2068-2071)
- प्रदर्श सं० 3 जमाबंदी खा.न. 214
- प्रदर्श सं० 4 दाखल खारिज केस दिनांक 10.09.13

प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य हेतु DW1 के रूप में स्वयं को, DW2 बंशीलाल, DW3 [illegible], DW4 लालाराम, DW5 मामराज योगी को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे निम्नांकित दस्तावेजात प्रस्तुत किये :

- प्रदर्श A-1 मिलान खसरा
- प्रदर्श A-2 खसरा गिरदावरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.23 15:02:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

- प्रदर्श A-3 खसरा गिरदावरी
- प्रदर्श A-4 विक्रयपत्र दिनांक 6.9.05

उभयपक्ष के साक्ष्य के उपरान्त उक्त पक्षकारान मुताबिक पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादप्रश्न की बाबत तनकीयात के विषय में इस न्यायालय का विवेचन निम्नांकित प्रकार से है:-

तनकीयात सं0 1 को प्रमाणित करने का भार वादी पर था जिसके अनुसार वादी को विवादित आराजीयात पर स्वयं का विधिक कब्जाधारी प्रमाणित किया जाना था। प्रकरण का स्वीकृत तथ्य है कि वादी की आराजी सीमा, प्रतिवादी की आराजीयात से मिलती है। तथा दोनो के मध्य सीमा का विवाद है। वर्तमान में वादी विवादित आराजीयात की खातेदार है किन्तु प्रतिवादी द्वारा वादी की जमीन पर कोई अतिक्रमण दिनांक 15.9.2013 को किया गया हो, ऐसा वादी द्वारा किसी भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है। इसके विपरित प्रस्तुत खसरा गिरदावरी प्रदर्श A-2 से स्पष्ट है कि प्रतिवादी के परिवारजन का पूर्व से ही उक्त आराजीयात पर कब्जा था। वादी विवादित आराजीयात की मूल आवंटी नहीं है तथा वादी के विक्रेता द्वारा कोई विधिक अधिपत्य वादी को हस्तांतरित किया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। वादी द्वारा स्वयं के विक्रेता एवं पूर्व खातेदारान को न्यायालय के समक्ष-परीक्षा हेतु पेश नहीं किया गया है। ~~स्वयं~~ स्वयं वादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.23 15:02:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner

वादपत्र के तथ्यों की जानकारी नहीं होना स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति मे वादी स्वयं को स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी प्रमाणित किये जाने मे पूर्णतः असफल रहा है। उक्तानुसार तनकी सं. 1 वादी के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी सं० 2 तथा 3 भी जिसमें वादी को थी। किंतु वादी न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित किये जाने में पूर्णत: असफल रहा है कि दिनांक 15.9.2013 को प्रतिवादी द्वारा वादी की जमीन पर कोई अतिक्रमण किया गया हो। प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार प्रतिवादी का कब्जा विवादित आराजीयात पर करीब 50 वर्ष पुराना है। वादी द्वारा पत्थरगढ़ी करवाने का कोई अनुतोष वादपत्र मे नहीं चाहा गया था। वादी, प्रतिवादी का अतिक्रमण न्यायालय के समक्ष प्रमाणित नहीं कर पाया अतः है। वादी द्वारा तनकी सं० 2 तथा 3 के संबंध मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा किसी स्वतंत्र साक्ष्य को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति मे तनकी सं० 2 तथा 3 वादी प्रमाणित करने मे असमर्थ रहा है। अत: दोनों तनकीयात वादी के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी सं० [illegible] तथा [illegible] प्रतिवादी के जिम्मे रखा गया था जिसके अनुसार [illegible] द्वारा विवादित आराजीयात की खातेदारी तथा स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध वादी चाही गई है। इस हेतु प्रतिवादी का मुख्य आधार-

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.23 15:02:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

प्रतिकूल कब्जा है। जबकि प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष यह प्रकट किया गया है कि प्रतिवादी के पूर्वजों का वेवादित आराजीयात पर कब्जा 50 वर्षों से अधिक पुराना है। इस प्रकार प्रतिवादी के कथन एवं अनुतोष विरोधाभासी है। खातेदारी की घोषणा के लिए प्रतिवादी द्वारा राजस्थान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। कानून वर्तमान वैधिक व्यवस्था अनुसार प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में तनकी सं० 4 तथा 5 प्रतिवादी के विरुद्ध तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन में न्यायालय द्वारा तनकी सं० 1 लगायत 3 वादी के विरुद्ध तथा तनकी सं० 4 तथा 5 का विवेचन प्रतिवादी के विरुद्ध किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद तथा प्रतिवादी का काउन्टरक्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी तथा प्रतिवादी का countorclaim विरुद्ध वादी साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पृथक डिक्री बनाया जावे।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.23 15:02:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 17.2. [illegible] न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

244 / 2013 दावा
रामप्यारी बनाम मालूराम वगैरा

(15)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

ऑ 20 कलम 6 व 7 जाब्ता दीवानी

अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अपर्णा शर्मा (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या 244 / 2013 / दावा

वाद संख्या 244 / 2013

निर्णय दिनांक 17.02.2021

1. रामप्यारी देवी पत्नी भूराराम जाट निवासी साहिबरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

—वादीया

बनाम

1. मालूराम पुत्र रामनाथ जाति जोगी निवासी डीया तहसील आमेर जिला जयपुर

—प्रतिवादी

दावा बाबत बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 17.02.2021

तनकी नंबर 1 लगायत 3 वादी के विरुद्ध एवं तनकी नंबर 4 व 5 प्रतिवादी के विरुद्ध साबित होने से वादीया का वाद एवं प्रतिवादी का काउंटर क्लेम दोनों साक्ष्यों के अभाव में खारिज किए जाते हैं। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 17.02.2021 को जारी किया।

दस्तखत—
ओहदा——

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मनामा			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान	4 रूपये		मीजान	4 रूपये	

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.23 15:02:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner